[2019] 6 एस. सी. आर 1172

मेसर्स न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड।

वी.

मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

(2014 की सिविल अपील संख्या 9668)

मई 1,2019

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: आग से हुए नुकसान के लिए मुआवजा-बीमा कंपनी का सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त करने का अधिकार शिकायतकर्ता ने एक पॉलिसी प्राप्त की

Rs.85 लाख की सुनिश्चित राशि के साथ आग के जोखिम के लिए बीमा शिकायतकर्ता का कारखाना आग में घिर गया था और उसने नुकसान का दावा दायर किया-बीमा कंपनी ने एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया जिसने Rs.54 लाख के नुकसान को स्वीकार किया-बीमा कंपनी ने दूसरा सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया जिसने राशि को घटाकर Rs.24 लाख कर दिया।

बीमा कंपनी ने अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर तीसरा सर्वेक्षक नियुक्त किया कि पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था

निर्यातकों को धोखा देने वाले व्यक्ति-तीसरे सर्वेक्षणकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया-शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि बीमा कंपनी

एक के बाद एक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया जब तक कि वह शिकायतकर्ता के दावे के पूर्ण खंडन की रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल नहीं हो गयाः बीमा कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह तब तक किसी अन्य सर्वेक्षक को नियुक्त करे जब तक कि उसे अपने पक्ष में रिपोर्ट नहीं मिल जाती-पहला सर्वेक्षक बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया था।

मुख्य कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को इस तथ्य का उल्लेख करते हुए पत्र भेजा गया था कि एक सर्वेक्षणकर्ता के रूप में

इसके द्वारा नियुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय के लिए किसी अन्य सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त करने का कोई कारण नहीं था-उक्त तथ्य को देखते हुए, किसी अन्य सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता था जब मुख्य कार्यालय द्वारा दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने के एक सचेत निर्णय को सूचित किया गया था-फिर भी, स्थानीय कार्यालय द्वारा दिया गया तर्क यह था कि पहले सर्वेक्षणकर्ता ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया था जब स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्टॉक स्टेटमेंट के संबंध में केनरा बैंक की रिपोर्ट-इस तरह के स्टॉक स्टेटमेंट को इस कारण से दरकिनार कर दिया गया था कि अगर स्टॉक कहा जाता है

बयान सही था तो यह दिखाने का कोई कारण नहीं था कि ऋण पत्र को साकार क्यों नहीं किया जा सका-केनरा बैंक द्वारा शेयरों के सत्यापन पर संदेह नहीं किया जा सकता था, जिसका स्टॉक पर प्राथमिक शुल्क था, दूसरे सर्वेक्षणकर्ता ने बताया है-बीमा कंपनी ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें तीन लोगों को निर्यातकों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया था

हालांकि,

शिकायतकर्ता के खिलाफ ऐसा या ऐसा कोई आरोप नहीं था

इस प्रकार, बीमा कंपनी के लिए पहले सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं था और न ही इस बात का कोई सबूत था कि ऐसी रिपोर्ट मनमाना और अत्यधिक थी-सर्वेक्षणकर्ताओं को बार-बार नियुक्त करने का कोई ठोस कारण नहीं था जब तक कि एक सर्वेक्षणकर्ता एक रिपोर्ट नहीं देता जो सर्वेक्षणकर्ता के हितों को संतुष्ट कर सके। बीमा कंपनी-बीमा अधिनियम, 1948। 64 उम.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 पहला सर्वेक्षक मुख्य कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया था।

बीमा कंपनी से। बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय ने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय को सूचित किया है कि एक और सर्वेक्षक क्यों नियुक्त किया गया है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एक अन्य सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जब मुख्य कार्यालय द्वारा दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने के एक सचेत निर्णय के बारे में सूचित किया गया हो। इसके अलावा, स्थानीय कार्यालय द्वारा दिया गया तर्क यह था कि स्पष्टीकरण मांगे जाने पर पहले सर्वेक्षणकर्ता ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया था। उक्त कारण का उत्तर दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट में भी दिया गया था। ऐसे सर्वेक्षक ने केनरा की रिपोर्ट पर विचार किया था स्टॉक विवरण के संबंध में बैंक। इस तरह के स्टॉक स्टेटमेंट को इस कारण से दरकिनार कर दिया गया था कि यदि कहा गया स्टॉक स्टेटमेंट सही था तो लेटर ऑफ क्रेडिट को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका। शिकायतकर्ता ने समझाया था कि यह 15.06.2000 पर था, यह खेप प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया है कि वह खेप का निर्यात करने से पहले स्टॉक का निरीक्षण करे। प्रेषक ने स्टॉक का निरीक्षण नहीं किया जिसके कारण ऋण पत्र का विस्तार 08.08.2000 तक हो गया। दूसरे सर्वेक्षणकर्ता ने बताया है कि केनरा बैंक द्वारा शेयरों के सत्यापन, जिसका शेयरों पर प्राथमिक शुल्क था, उस तरीके पर संदेह नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20,21] [1185-ए-ई] [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 साख पत्र एक वैध दस्तावेज था जो

केवल इस कारण से वास्तविक नहीं कहा जाएगा कि ऐसा साख पत्र शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं था जब सिंगापुर स्थित एक फर्म द्वारा शिकायतकर्ता को आदेश दिया गया था। [पैरा 22] [1185-एफ-जी]

1.3 6.4.2002 पर दर्ज प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं था

शिकायतकर्ता द्वारा निर्यात के संबंध में। अभियुक्त के खिलाफ आरोप निर्यातकों को धोखा देने का था, जबकि शिकायतकर्ता के खिलाफ ऐसा या ऐसा कोई आरोप नहीं था। इस प्रकार, बीमा कंपनी के लिए पहले सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं था और न ही इस बात का कोई प्रमाण था कि ऐसी रिपोर्ट मनमाना और अत्यधिक है। सर्वेक्षणकर्ताओं को बार-बार नियुक्त करने का कोई ठोस कारण नहीं था जब तक कि एक सर्वेक्षणकर्ता एक रिपोर्ट नहीं देता जो बीमा कंपनी के हित को संतुष्ट कर सके। [पारस 23,24] [1185-जी-एच; 1186-ए-बी]

श्री वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल बीमा

कंपनी लिमिटेड (2009) 8 एससीसी 507: [2009] 14 एससीआर 57 उस पर भरोसा करें

मामला कानून संदर्भ

[2009] 14 एससीआर 57

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9668

2014 का

राष्ट्रीय संविधान के 01.08.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 की मूल याचिका संख्या 182 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली

के साथ

सिविल अपील सं। 4371-4372 2015 से। संतोष कुमार, शेखर कुमार, नागेश, सुशांत, शांतनु

कुमार, रोहिताश के. शर्मा, विष्णु मेहरा, सुश्री मंजीत चावला, सुश्री साक्षी मित्तल, विपिन कुमार जय, दुष्यंत पाराशर, विपुल जय, सुश्री शैली दिनकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

मेसर्स न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे. 1. यह आदेश सिविल का निपटारा करेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दोनों पक्षों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 की धारा 23 के तहत दायर अपील, जिसमें इसके दिनांकित 01.08.2014 आदेश के खिलाफ रु। 54,93,865 / - आग से हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में दिया गया है

शिकायतकर्ता, इस शर्त के अधीन कि उक्त राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा अन्यथा वह अपनी प्राप्ति तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करेगी।

2. संदर्भ की सुविधा के लिए, 2014 की सिविल अपील संख्या 9668 में प्रतिवादी को इसके बाद शिकायतकर्ता के रूप में बुलाया जाएगा, जबकि अपीलार्थी-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लिमिटेड को बीमा कंपनी कहा जाएगा। सिविल अपील सं। 4371-72 2015 के द्वारा दायर किया गया है

शिकायतकर्ता। 3. शिकायतकर्ता एक औद्योगिक इकाई है जो वस्त्रों के निर्माण में लगी हुई है। शिकायतकर्ता ने इसके लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त की

रुपये की सुनिश्चित राशि के साथ 27.3.2000 से 26.3.2001 की अवधि के लिए आग लगने का जोखिम। 85,00,000 / - . आई. डी. 1 पर लगभग 3ः45 बजे शिकायतकर्ता के कारखाने में आग लग गई। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अपने कारखाने में आग लगने की घटना के कारण हुए नुकसान के लिए दावा दायर किया।

4. मेसर्स आर. एन. शर्मा एंड कंपनी को बीमा कंपनी द्वारा प्रारंभिक जांच करने के लिए एक अन्वेषक के रूप में नियुक्त किया गया था। द.

प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट 20.07.2000 पर प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स को सर्वेक्षक नियुक्त किया गया।

28 जुलाई, 2000 को बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा। उक्त सर्वेक्षक ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और दावे को स्वीकार कर लिया

रुपये के लिए शिकायतकर्ता। 54,93,865 / - . उक्त राशि में से रु। 1,65, 430.53 इमारत को नुकसान के कारण दावा किया गया था; रु। 3,93, 779.78 मशीनरी को हुए नुकसान का दावा था और रु। 49,44, 657.67 स्टॉक को हुए नुकसान का दावा था। यह राशि कुल मिलाकर रु। 54,93,865 / - .

5. बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को 09.04.2001 दिनांकित एक संचार जारी किया जिसमें उक्त रिपोर्ट 12.02.2001 पर बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाने के बाद कुछ जानकारी मांगी गई थी। माँगी गई जानकारी इस प्रकार हैः

1 1985 का अधिनियम

" 1. मशीनरी की सूची (परिसंपत्ति रजिस्टर की प्रति) 2. हानि और लाभ खाते

3. कच्चे माल की खरीद का विवरण

4. पिछले 2 वर्षों के लिए तुलनपत्र की सत्यापित प्रति।

5. विस्तारित समाप्ति तिथि के साथ एल. सी. और एल. सी. की मूल प्रति

6. बारी बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं का विवरण ऊपर।

7. भवन पर बीमायोग्य ब्याज की स्थिति स्पष्ट करें।

6. सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आग में क्षतिग्रस्त मशीनरी और उसके नुकसान के संबंध में स्वीकार्य राशि का विवरण देते हुए मशीनरी को नुकसान बताया है। बीमा कंपनी ने भी एक इसके वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को 26.09.2001 पर पत्र कि बैंक ऑफ इंडिया की सिंगापुर शाखा का 11.05.2000 दिनांकित क्रेडिट पत्र गुरचरण सिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्थापित किया गया था। लिमिटेड, लेकिन उक्त ऋण पत्र किसी भी दस्तावेज की प्राप्ति के बिना समाप्त हो गया। यह भी उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता न तो लाभार्थी है और न ही उक्त साख पत्र का अधिसूचित पक्ष है।

7. इसके बाद, मैसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स थे

बीमा कंपनी द्वारा दूसरे सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त। उक्त सर्वेक्षक ने रुपये के नुकसान को स्वीकार किया। 24,76,585 / - अपनी रिपोर्ट दिनांकित 28.02.2002 में। दूसरे सर्वेक्षणकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा केनरा बैंक को क्रमशः 30.4.2000,31.05.2000 और 01.07.2000 पर प्रस्तुत स्टॉक विवरण को ध्यान में रखा है। हालांकि, कहा जाता है कि केनरा बैंक के प्रबंधक ने बताया कि ये विवरण वैधानिक आवश्यकताओं की तरह हैं, लेकिन सर्वेक्षणकर्ता ने उन्हें इस कारण से दरकिनार कर दिया कि इन दस्तावेजों को स्टॉक मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेजों के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी देखा गया कि यदि स्टॉक विवरण को संदर्भित किया जाना है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि ऋण पत्र को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका। दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं - इसके अंतर्गतः

" (i) जमा किए गए 1.7.2000,31.5.2000,30.4.2000 पर स्टॉक स्टेटमेंट

बैंक में बीमाकृत।

ये कथन वैधानिक आवश्यकता की तरह हैं (राय का संदर्भ लें)। केनरा बैंक प्रबंधक, 13 बी, जांच सत्यापन)।

ये मेसर्स न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

दस्तावेज़ों को स्टॉक मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेज़ के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि हम इन स्टॉक विवरणों में मात्रा का उल्लेख करते हैं तो एल. सी. के साकार नहीं होने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा ये दस्तावेज लक्सारा एंटरप्राइजेज प्राइवेट द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के खरीद चालान के विपरीत हैं। लिमिटेड उनके विक्रेताओं से "।

8. बीमा कंपनी अभी भी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद श्री R.G.Verma, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को अपना तीसरा सर्वेक्षक नियुक्त किया। उक्त सर्वेक्षणकर्ता ने बीमा पॉलिसी के खंड 8 के तहत 28.05.2002 पर अपनी रिपोर्ट में दावे को इस आधार पर पूरी तरह से अस्वीकार करने की सिफारिश की कि आग में हेरफेर करने के लिए बीमित व्यक्ति की ओर से पर्याप्त वैध परिस्थितिजन्य कारण थे। 28.06.2002 पर प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के बाद, बीमा कंपनी द्वारा उसी दिन यानी 28.6.2002 द्वारा दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि शिकायतकर्ता का कोई निर्यात आदेश नहीं था और ऋण पत्र में खरीदार का नाम और पता नहीं दिखाया गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि केनरा बैंक को 05.07.2000 पर दिए गए स्टॉक स्टेटमेंट के अनुसार, 01.07.2000 पर 34,800 शर्ट तैयार थे और क्रेडिट लेटर 09.07.2000 पर समाप्त हो रहा था।

इसलिए, शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि उक्त खेप को 01.07.2000 पर या उससे पहले क्यों नहीं भेजा गया था। एक अन्य कारण यह दिया गया था कि क्रेडिट पत्र को किसी और के पक्ष में 08.08.2000 तक बढ़ाया गया था। इसलिए, जब माल कथित रूप से तैयार था तो ऋण पत्र के विस्तार का कोई कारण नहीं था।

01.07.2000 और यह कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा चालान के समर्थन के बिना परिधान का निर्यात नहीं किया जा सकता था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई समर्थन प्राप्त नहीं किया गया था। सर्वेक्षक

एक अन्य कारण यह भी बताया कि 104203 मीटर कपड़ा मैसर्स एस. वी. ट्रेडर्स से खरीदा गया था, लेकिन चालान और चालान पर दिया गया पता कपड़े की दुकान का नहीं था, बल्कि एक फोटोकॉपी की दुकान का था। इसके अलावा, एक अन्य कारण यह बताया गया कि अजय वर्मा के मेसर्स सिरदानवाल ओवरसीज द्वारा ऋण पत्र खोला गया था, जो आई. पी. सी. की धारा 420,406,120 (बी) के तहत प्राथमिकी संख्या 98 दिनांक 06.04.2002 में आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं।

9. शिकायतकर्ता ने 16.5.2002 पर दायर अपनी शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि उसने केनरा बैंक से ऋण सुविधा ली है।

रु. की धुन। 50,00,000 / - और यह कि ऋण राशि मार्च और मई, 2000 के महीनों में वितरित की गई थी। इस तरह के अग्रिम शिकायतकर्ता [2019] 6 एस. सी. आर. के निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा शिकायतकर्ता के कारखाने में पड़े स्टॉक और सामान की प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया था।

और निदेशकों में से एक का न्यायसंगत बंधक/आवासीय घर और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त कारखाने में स्थापित संयंत्र और मशीनरी। बैंक ने कारखाने की इमारत के साथ-साथ बीमा कंपनी से स्टॉक का भी बीमा कराया, जिसके लिए बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

बैंक द्वारा शिकायतकर्ता के खाते से डेबिट करना।

10. शिकायतकर्ता की शिकायत है कि बीमा कंपनी ने एक के बाद एक सर्वेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रथम सर्वेक्षणकर्ता मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स ने नुकसान को स्वीकार किया है।

रुपये की सीमा तक शिकायतकर्ता। 54,93,865 / - जबकि, दूसरे सर्वेक्षक-मेसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स ने राशि को घटाकर रु। 24,76,585 / - और तीसरा सर्वेक्षक-आर. जी. वर्मा ने पूरे दावे को खारिज कर दिया।

11. दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में, यह बताया गया है कि सर्वेक्षणकर्ता के श्री बी. एस. अग्रवाल-मेसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स

शिकायतकर्ता के कार्यालय में बैठक में भाग लिया जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारी शामिल हुए। शिकायतकर्ता ने 15.01.2002 पर शिकायत प्रकोष्ठ, मुंबई के अलावा बीमा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ-साथ दिल्ली में शाखा कार्यालय को एक पत्र प्रस्तुत किया। श्री बी. एस. अग्रवाल ने आई. डी. 2 दिनांकित एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आई. डी. 1 दिनांकित पत्र भ्रामक था क्योंकि शिकायतकर्ता सर्वेक्षणकर्ता को लेखा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सका था।

12. शिकायतकर्ता ने फिर से 18.3.2002 दिनांकित एक पत्र प्रस्तुत किया।

बीमा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों के प्रति सर्वेक्षणकर्ता की कार्रवाई से व्यथित। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि बीमा कंपनी एक के बाद एक सर्वेक्षक नियुक्त नहीं कर सकती है। बीमा कंपनी के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू. एम. (3) के तहत एक स्वतंत्र सर्वेक्षक नियुक्त करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को आवेदन करने का अधिकार था, लेकिन बीमा कंपनी एक के बाद एक सर्वेक्षक नियुक्त नहीं कर सकती थी।

शिकायतकर्ता के दावे के पूर्ण खंडन की रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल। 1938 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" (2) भारत में हुए नुकसान के संबंध में कोई दावा नहीं और

बीमा की किसी भी पॉलिसी पर बीस हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक मूल्य का भुगतान या निपटान करने की आवश्यकता, जो अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय बीमाकर्ता को उत्पन्न या सूचित किया जाता है।

3 1938 अधिनियम एम/एस न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ से एक वर्ष, जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है, बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा या निपटाया जाएगा जब तक कि उसने प्राप्त नहीं किया है। सर्वेक्षणकर्ता या हानि के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के तहत जारी लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से हुई हानि पर एक रिपोर्ट।

मूल्यांकनकर्ता (इसके बाद अनुमोदित सर्वेक्षणकर्ता या हानि के रूप में संदर्भित)

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता के किसी भी दावे का भुगतान करने या निपटान करने के अधिकार को अनुमोदित सर्वेक्षणकर्ता या हानि निर्धारक द्वारा निर्धारित राशि से अलग किसी भी राशि पर छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी। (3) प्राधिकरण, किसी भी समय, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी दावे के संबंध में, द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अनुमोदित सर्वेक्षणकर्ता या हानि निर्धारक से एक स्वतंत्र रिपोर्ट मांग सकता है।

वह और ऐसा सर्वेक्षणकर्ता या हानि निर्धारक प्राधिकरण को ऐसे समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

प्राधिकरण या यदि उचित समय के भीतर उसके द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है और ऐसी रिपोर्ट की लागत या आनुषंगिक बीमाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(4) प्राधिकरण, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

दावे के निपटारे के संबंध में, जिसमें उससे कम या उससे अधिक के आंकड़े पर दावे का निपटान करने का कोई निर्देश भी शामिल है, जिस पर उसे निपटाने का प्रस्ताव किया गया था या उसका निपटान किया गया था और बीमाकर्ता ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगाः बशर्ते कि जहां प्राधिकरण किसी दावे का निपटान करने के लिए उस संख्या से कम पर निर्देश जारी करता है जिस पर उसका निपटान पहले ही किया जा चुका है, बीमाकर्ता को ऐसे निर्देश का पालन करने वाला माना जाएगा यदि वह प्राधिकरण को संतुष्ट करता है कि इस प्रश्न के संबंध में सभी उचित कदम उठाए गए हैं कि क्या इसमें शामिल व्यय वसूली के लिए आवश्यक राशि के अनुपात से अधिक नहीं है, तो उसके द्वारा उचित प्रेषण के साथ उठाए गए हैंः

बशर्ते कि कम राशि के भुगतान के लिए कोई निर्देश न हो जहां दावे की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और प्राधिकरण की राय है कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली से बीमित व्यक्ति को अनुचित कठिनाई होगीः

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी दायित्व, दीवानी या आपराधिक से मुक्त नहीं करेगी, जिसके वह अधीन होता, लेकिन इस उप-धारा के प्रावधानों के लिए।

13. आयुक्त के समक्ष दायर लिखित बयान में बीमा कंपनी ने सर्वेक्षक-मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स की रिपोर्ट के बाद एक अन्य सर्वेक्षक की नियुक्ति का कारण बताया।

01.02.2001 पर जमा करें। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि नुकसान की मात्रा का आकलन बिना किसी सत्यापन और दस्तावेज प्रदान किए किया गया है और सर्वेक्षणकर्ता से मांगे गए स्पष्टीकरण से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीमा कंपनी ने अपने जवाब के पैरा 3.9 में एक अन्य सर्वेक्षक की नियुक्ति के कारणों का निष्कर्ष निकाला जो इस प्रकार हैः

" प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ-साथ बीमित व्यक्ति से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन न तो सर्वेक्षणकर्ताओं और न ही बीमित व्यक्ति ने स्पष्टीकरण या वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए। उक्त स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 1 शर्ट की कीमत का पता लगाने में सक्षम नहीं था। सर्वेक्षक

अतिरिक्त खर्चों को जोड़ते हुए लागत रु। 295 / - प्रति शर्ट। प्रारंभिक सर्वेक्षणकर्ता ने 20 जुलाई, 2000 की अपनी रिपोर्ट में भी 2 करोड़ रुपये के नुकसान के अनुमान का आधार नहीं दिया। 75,00,000 / - . 11 मई, 2001 के पत्र प्रारंभिक विभाग को लिखे गए थे। सर्वेक्षक रुपये के आंकड़े के आधार के बारे में पूछ रहा है। 75,00,000 / जिसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 28 जून, 2001 का अनुस्मारक दिया गया जिसका भी जवाब नहीं दिया गया। 11 मई, 2001 और 28 जून, 2001 के पत्र अनुलग्नक आर-14 और आर-15 हैं।

यहाँ "।

14. लिखित बयान में केवल यही कारण उपलब्ध हैं कि किसी अन्य सर्वेक्षक की नियुक्ति क्यों की गई। कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है

मेसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स, 22.08.2001 पर दूसरे सर्वेक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत। आयोग ने अपने आदेश में कहाः

" 22. अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सर्वेक्षक संख्या की नियुक्ति की गई है। 2 , 3 & 4 मुख्यालय की सहमति से था। दूसरे सर्वेक्षक के बाद, इस बात का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि तीसरे और चौथे सर्वेक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई थी।

यह एक स्वीकृत एम/एस न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी है। LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता के परिसर में आग लग गई। सभी

पहले तीन सर्वेक्षणकर्ताओं ने एक स्वर में इस तथ्य के बारे में बात की। यहां तक कि जांचकर्ता/चौथे सर्वेक्षक ने भी घटना की घटना से इनकार नहीं किया और बिना किसी अनिश्चितता के स्वीकार किया कि रुपये की शर्ट

कुछ लाख जला दिए गए होंगे। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता को कुछ नुकसान हुआ था। चाहे आदेश या एल. सी. नकली थे या हेरफेर किए गए थे या आदेश के लिए

शर्ट के आयात को साबित नहीं किया जा सका या श्री अजय वर्मा थे आपराधिक मामले में शामिल होने का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। रिकॉर्ड के सबूत पर कोई संकेत नहीं है कि श्री अजय वर्मा थे

इस विशेष मामले में शामिल।

शिकायतकर्ता कि दस्तावेज़ पूरे हैं। वहाँ कोई रगड़ नहीं है। 24. इन परिस्थितियों में, हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है

दूसरे सर्वेक्षक, मेसर्स सुनील जे. वोहरा की रिपोर्ट। उसी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और हम शिकायत की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं

बीमा कंपनी, ओ. पी. 1, रुपये की राशि का भुगतान करेगी। 54,93,865 / - इस आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को, अन्यथा, यह अपनी प्राप्ति तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करेगा। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लागत या लंबित ब्याज के बारे में कोई आदेश नहीं है।

15. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-बीमा कंपनी

उन्होंने तर्क दिया कि आयोग ने इस सवाल की जांच नहीं करने में कानून की गंभीर गलती की है कि क्या साख पत्र नकली था या हेरफेर किया गया था या शर्ट के आयात के आदेश को साबित नहीं किया जा सका या श्री अजय वर्मा ने गलत किया था।

आपराधिक मामले में शामिल क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के तथ्यों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-बीमा कंपनी इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर निर्भर करती है जैसा कि श्री में बताया गया है

वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसने 1938 के अधिनियम की धारा 64 यू. एम. की जांच की है, ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बीमा कंपनी द्वारा किसी अन्य सर्वेक्षक-मेसर्स ए. बी. एम. इंजीनियरों और सलाहकारों की नियुक्ति के लिए अधिनियम में कोई निषेध नहीं है, सिवाय इसके कि बीमा कंपनी को इसके लिए कारण दर्ज करने होंगे।

सर्वेक्षक-मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स की रिपोर्ट को स्वीकार करना। इसलिए बीमा कंपनी ने एक और व्यक्ति को नियुक्त किया है।

सर्वेक्षक।

4 (2009) 8 एससीसी 507 [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. बीमा कंपनी ने पंजाब केसरी में प्रकाशित समाचार पत्र की रिपोर्ट पर भरोसा किया कि दिल्ली पुलिस ने निर्यातकों को धोखा देने वाले जाली दस्तावेजों के आधार पर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह उक्त समाचार पत्र की रिपोर्ट थी जिसे एक और सर्वेक्षक की नियुक्ति का आधार बनाया गया था। लिखित कथन का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः

" 3.12 9 मई, 2002 को "पंजाब केसरी" अखबार में यह खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर निर्यातकों से करोड़ों रुपये ठगे थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 के ध्यान में यह भी आया कि मैसर्स के श्री अजय वर्मा। सिरदनवाल ओवरसीज, जिनसे शिकायतकर्ता पर एल. सी. के लिए लेन-देन करने और निर्यात आदेश की खरीद करने का आरोप है, को भारतीय दंड संहिता की धारा 420/406/12 बी के तहत 6 अप्रैल, 2002 की एफ. आई. आर. संख्या 98, पी. एस. चित्तरंजन पार्क में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अखबार की रिपोर्ट

दिनांक 9 मई, 2002 का अनुलग्नक आर-25 यहाँ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावे की जांच करने के लिए श्री आर. जी. वर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया। श्री आर. जी. वर्मा ने विस्तृत जांच की और 28 मई, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पाया कि दावा धोखाधड़ी वाला था। श्री आर. जी. वर्मा की रिपोर्ट यहाँ अनुलग्नक आर-26 है। निम्नलिखित

अन्वेषक द्वारा दस्तावेज एकत्र किए गए थेः

आई. 24 मई, 2002 के जमानत आवेदनों की सूची।

ii. एफ. आई. आर. नं. 98 दिनांक 6 अप्रैल, 2002।

iii. अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा के अनुरोध के लिए आवेदन।

iv. उत्तरदाता संख्या 1 ने कार्यालय की तस्वीरें लीं

एस. वी. व्यापारी जो यहाँ अनुलग्नक आर-27 हैं।

17. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने उठाए गए तर्कों का खंडन किया और दिनांक 07.12.2001 के संचार का उल्लेख किया। बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा उसके दिल्ली को संबोधित

क्षेत्रीय कार्यालय, इन तथ्यों के साथ-साथ कि मुख्य कार्यालय ने मैसर्स सुनील जे. वोहरा एंड एसोसिएट्स को अंतिम सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया है और यह कि मुख्य कार्यालय यह समझने में असमर्थ है कि मैसर्स एबीएम इंजीनियरों और सलाहकारों को सर्वेक्षक के रूप में क्यों और किसने नियुक्त किया है। उक्त पत्र के उद्धरण इस प्रकार हैंः

- मेसर्स न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

"

07.12.2001

दिल्ली आरओ II

काइंड एटन। : एम. आर. एस. मामन, एएसएसटी। जनरल. प्रबंधक, रीः नीति सं. के तहत अग्नि दावा।

11/310830/99/9010 ए/सी

एम/एस। लक्सरा एंटरप्राइजेज प्रा. लि. नुकसान की तारीखः 11 / 12.7.2000

हम अपने रिकॉर्ड से नोट करते हैं कि आपके अनुरोध के आधार पर पत्र डी. टी.

24.7.2000 , एच. ओ. ने सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया था

अंतिम सर्वेक्षक और हमने आपको निर्णय से अवगत करा दिया है।

हमारे पत्र डी. टी. 27.7.2000 . हम समझते हैं कि सर्वेक्षक ने

पहले ही अपनी रिपोर्ट जमा कर चुके हैं। हमें दस्तावेजों का एक गुच्छा प्राप्त हुआ है। 20.11.01 मेसर्स एबीएम से

इस दावे से संबंधित इंजीनियर और सलाहकार। हम असमर्थ हैं।

यह समझने के लिए कि उन्हें किस लिए नियुक्त किया गया है और किसे नियुक्त किया गया है

उन्हें। कृपया ध्यान दें कि एक बार जब एच. ओ. ने एक सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त कर लिया है, तो आप

एच. ओ. से परामर्श किए बिना सर्वेक्षणकर्ता या अन्वेषक नियुक्त नहीं कर सकते।

कृपया हमें अपना स्पष्टीकरण दें ताकि हम इससे अवगत हो सकें।

प्रबंधन। हम मेसर्स द्वारा उस पत्राचार पर ध्यान देते हैं। ए. बी. एम. इंजीनियर और

केवल और प्रतियां विभिन्न उच्च कार्यालयों को भेजी जाती हैं। कृपया हमें इस दावे की वर्तमान स्थिति के बारे में भी सूचित करें।

अभिलेख "।

18. पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार करने से पहले,

श्री वेंकटेश्वर (ऊपर) में मल की जांच की आवश्यकता होती है।

ई ने कहा कि इस न्यायालय ने बीमा के अधिकार को बरकरार रखा है

सर्वेक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकार लेकिन इस तरह के अधिकार का उपयोग वैध होने के लिए किया जा सकता है

एनएस या यदि रिपोर्ट मनमाना पाई जाती है और वह बीमा

पैनी को ठोस कारण देने चाहिए जिनके बिना वह नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

दूसरे सर्वेक्षक। निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं -

आरः -

" 33. धारा 64-यू. एम. की योजना, विशेष रूप से उप-धारा (2) की,

(3) और (4) यह दिखाएगा कि बीमाकर्ता दूसरा [2019] 6 एस. सी. आर. नियुक्त नहीं कर सकता है।

सर्वेक्षक निश्चित रूप से एक बात के रूप में। यदि किसी वैध कारण से सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट बीमाकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, यदि अंतर्निहित दोष हैं, यदि यह मनमाना, अत्यधिक, अतिरंजित आदि पाया जाता है, तो इसे ठोस कारणों को निर्दिष्ट करना चाहिए, जिसके बिना यह दूसरे सर्वेक्षक को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है या

सर्वेक्षणकर्ताओं को तब तक एक रिपोर्ट मिलती है जो उनके हित को संतुष्ट करती है।

वैकल्पिक रूप से, यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षणकर्ता/सर्वेक्षणकर्ताओं के निष्कर्षों से असहमत होने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। बीमा कंपनी द्वारा दूसरे सर्वेक्षक की नियुक्ति के लिए बीमा अधिनियम में कोई निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय, बीमा कंपनी को स्वीकार नहीं करने के लिए संतोषजनक कारण देने होते हैं। पहले सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट और दूसरे सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त करने की आवश्यकता।

XXX

XXX

XXX

35. हमारे सुविचारित विचार में, बीमा अधिनियम केवल यह आदेश देता है कि किसी दावे का निपटान करते समय, एक सर्वेक्षणकर्ता की सहायता ली जानी चाहिए, लेकिन यह आगे नहीं जाता है और यह कहता है कि बीमाकर्ता सर्वेक्षणकर्ता ने जो कुछ भी मूल्यांकन या मात्रा निर्धारित की है, उससे बाध्य होगा; यदि किसी भी कारण से, बीमाकर्ता का विचार है कि कुछ भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। सर्वेक्षणकर्ता और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह निश्चित रूप से बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक नया सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से किसी अन्य सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त कर सकता है।

XXX

XXX

XXX

बिना किसी स्वीकार्य कारण के, अदालतें या अन्य मंच निश्चित रूप से कदम उठा सकते हैं और बीमाकर्ता द्वारा की गई त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। बीमित व्यक्ति के दावे को अस्वीकार करते हुए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि यदि रिपोर्ट अच्छी भावना से तैयार की जाती है, तो उचित दिमाग के साथ और किसी भी त्रुटि या बुरे उद्देश्य के अभाव में, बीमा कंपनी से सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट को अस्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जांच किए जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या कंपनी के पास कारण हैं या सर्वेक्षणकर्ता-मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स की रिपोर्ट में अंतर्निहित दोष थे या ऐसाटी किसी अन्य सर्वेक्षक के सामने मनमाना, अत्यधिक और अतिरंजित है

मुझे नियुक्त किया जाता है।

मेसर्स न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी, LTD.v। मेसर्स लुक्सरा एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।]

20. सर्वेक्षक-मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स को बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया था। का मुख्य कार्यालय

बीमा कंपनी ने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय को सूचित कर दिया है

कि एक और सर्वेक्षक क्यों नियुक्त किया गया है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, एक अन्य सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जब मुख्य कार्यालय द्वारा दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने के एक सचेत निर्णय के बारे में सूचित किया गया हो।

21. इसके अलावा, स्थानीय कार्यालय द्वारा दिया गया तर्क यह है कि सर्वेक्षक-मेसर्स सुनील जे. वोरा एंड एसोसिएट्स ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है

जब स्पष्टीकरण माँगा गया था। उक्त कारण का उत्तर सर्वेक्षक-मेसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में भी दिया गया है। ऐसे सर्वेक्षणकर्ता ने शेयरों के विवरण के संबंध में केनरा बैंक की रिपोर्ट पर विचार किया है। इस तरह के स्टॉक स्टेटमेंट को इस कारण से दरकिनार कर दिया गया था कि यदि कहा गया स्टॉक स्टेटमेंट सही था तो लेटर ऑफ क्रेडिट को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका। शिकायतकर्ता ने समझाया है कि

15.06.2000 पर था, यह खेप प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया है कि वह खेप का निर्यात करने से पहले स्टॉक का निरीक्षण करे। प्रेषक ने स्टॉक का निरीक्षण नहीं किया है जिसके कारण ऋण पत्र का विस्तार 08.08.2000 तक किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि ऋण पत्र निर्यातक से धन की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए है और एक बार शिकायतकर्ता के स्टॉक को केनरा बैंक द्वारा सत्यापित कर लिया गया है, जिसका संपत्ति पर पहला प्रभार था, इसलिए, स्टॉक के इस तरह के सत्यापन पर संदेह नहीं किया जा सकता है बीमा कंपनी केवल इस कारण से कि ऋण पत्र प्राप्त नहीं हो सका। सर्वेक्षक-मेसर्स एबीएम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स ने बताया है कि केनरा बैंक द्वारा शेयरों के सत्यापन, जिसका शेयरों पर प्राथमिक शुल्क था, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

22. इसके अलावा, हलफनामे में यह बताया गया है कि ऋण पत्र मैसर्स सिरदानवाल ओवरसीज द्वारा दिया गया था, जिसका समर्थन गुरचरण सिंह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। लिमिटेड पीटीई सिंगापुर। इसलिए, साख पत्र एक वैध दस्तावेज था जिसे केवल इस कारण से वास्तविक नहीं कहा जा सकता था कि जब उपरोक्त सिंगापुर स्थित फर्म द्वारा शिकायतकर्ता पर आदेश दिया गया था तो ऐसा साख पत्र शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं था।

23. श्री अजय वर्मा एफ. आई. आर. में अभियुक्त हैं जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा निर्यात के संबंध में कोई आरोप नहीं है। अजय वर्मा के खिलाफ आरोप निर्यातकों को धोखा देने का है, जबकि शिकायतकर्ता के खिलाफ ऐसा या ऐसा कोई आरोप नहीं है। शिकायतकर्ता के पास [2019] 6 एस. सी. आर. भी हैं।

कहा कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा समर्थन किया गया था, इसलिए वास्तव में बीमा कंपनी का ऐसा दावा गलत है।

24. इस प्रकार, हम पाते हैं कि बीमा कंपनी के लिए सर्वेक्षणकर्ता-मेसर्स सुनील जे. वोरा की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं था।

सहयोगी और न ही इस बात का कोई सबूत है कि ऐसी रिपोर्ट मनमाना और अत्यधिक है। सर्वेक्षणकर्ताओं को बार-बार नियुक्त करने का कोई ठोस कारण नहीं है जब तक कि एक सर्वेक्षणकर्ता एक रिपोर्ट नहीं देता है जो बीमा कंपनी के हित को संतुष्ट कर सकता है।

25. वास्तव में, वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि रुपये का दावा। 54,93,865 / - सर्वेक्षक द्वारा स्वीकार किया गया-मेसर्स सुनील जे. वोरा और

रुपये की राशि में दावा स्वीकार कर लिया। 24,76,585 / - . तीसरे सर्वेक्षक-आर. जी. वर्मा ने दावे को पूरी तरह से खारिज करने की सिफारिश की। यह तीसरा है सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट जिसने बीमा कंपनी के हित को कम किया, जिसे उसी दिन शिकायतकर्ता के दावे के खंडन का आधार बनाया गया था, जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हम पाते हैं।

कि श्री वेंकटेश्वर (ऊपर) में निर्णय को देखते हुए, यह तब तक किसी अन्य सर्वेक्षक को नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उसे अपने पक्ष में एक रिपोर्ट नहीं मिल जाती है। वास्तव में, सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति शिकायतकर्ता के दावे को किसी न किसी बहाने से अस्वीकार करने के लिए थी।

2015 की सिविल अपील Nos.4371-72 शिकायतकर्ता द्वारा पसंद की गई है अनुमति दी गई। शिकायतकर्ता राशि पर ब्याज का हकदार होगा।

से रु. 54,93,865 / - याचिका दायर करने की तारीख से राशि के भुगतान तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।